[2020] 2 एस. सी. आर. 553

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस के निरीक्षक द्वारा

वी.

एम. मुरुगेसन और एएनआर।

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 45)

15 जनवरी, 2020

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 439 - जमानत आवेदन के तहत-उच्च न्यायालय ने आवेदन पर निर्णय लेने के बाद फाइल को बरकरार रखा और सभी राज्यों से डेटा एकत्र किया और अपने आदेश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों के बारे में टिप्पणियां दीं उच्च न्यायालय ने भी एक समिति का गठन किया और

इसे सुधारों पर अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः क्षेत्राधिकार यू/एस। 439 जमानत देने या न देने तक सीमित है-उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया जब जमानत देने के लिए एक आवेदन पर अंततः निर्णय लिया गया-उच्च न्यायालय ने जमानत देने के बाद फाइल को बनाए रखने में गंभीर त्रुटि की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय के समक्ष मामला यह था कि क्या अभियुक्त जमानत पर भर्ती होने के हकदार हैं, जो कि Cr.P.C की धारा 439 के संदर्भ में न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र है। जमानत देने से पहले, उच्च न्यायालय को एक आदेश देने का आदेश दिया जाता है -

लोक अभियोजक को जमानत के लिए आवेदन की सूचना जारी करने का दायित्व यदि किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध का आरोप है जो विचारण योग्य है

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा या जो, यद्यपि इतना विचारण योग्य नहीं है, आजीवन कारावास की सजा के लिए। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने फाइल को बनाए रखने में गंभीर अवैधता की है

जमानत की मंजूरी। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तब समाप्त हो गया जब धारा 439 Cr.P.C के तहत जमानत देने के लिए एक आवेदन आया।

अंत में निर्णय लिया गया। [पैरा 4 और 5] [556-जी-एच; 557-ए-बी]

2. एकल न्यायाधीश ने राज्य से डेटा एकत्र किया था और जमानत आवेदन के फैसले के बाद इसे आदेश का हिस्सा बना दिया था जैसे कि

न्यायालय के पास राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आड़ में कोई भी आदेश पारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र था। धारा 439 Cr.P.C के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत देने या न देने तक सीमित है। भले ही वस्तु

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माननीय न्यायाधीश की नियुक्ति प्रशंसनीय थी, लेकिन प्रयोग की गई अधिकारिता स्पष्ट रूप से गलत थी। माननीय न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रयास को एक उपयुक्त मंच पर प्रस्तुत करना शैक्षणिक रूप से उचित हो सकता है, लेकिन ऐसे निर्देश न्यायालय के कार्यालय के रंग के तहत जारी नहीं किए जा सकते हैं। [पैरा 11] [563-एफ]

पंजाब राज्य बनाम। देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य। (2011) 14 एस. सी. सी. 770 [2011] 15 एस. सी. आर. 540; सिमरीखिया बनाम।

डॉली मुखर्जी और छवि मुखर्जी और अन्र।

(1990) 2 एससीसी 437: [1990] 1 एस. सी. आर. 788; संगीताबेन शैलेशभाई दांत बनाम। गुजरात राज्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2300; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। महाप्रबंधक, सहकारी बैंक जमा ए/सी एचआर। शा & ओआरएस। (2010) 15 एससीसी 85: [2010] 9 एससीआर 1107; संतोष सिंह बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2016) 8 एससीसी 253:

[2016] 5 एससीआर 761-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 15 एससीआर 540

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[1990] 1 एससीआर 788

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

[2010] 9 एससीआर 1107

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2016] 5 एससीआर 761

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2020 का सं. 45।

उच्च न्यायालय के 24.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की सं. 1618 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

एम. योगेश कन्ना, सुश्री मेहा अग्रवाल, कार्तिक आर., अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से राज्य व्यथित है।

24 अप्रैल, 2019 को मद्रास में न्यायिक न्यायालय का गठन नामित व्यक्तियों की विषम समिति उन सुधारों पर अपनी सिफारिशें देगी जिन्हें सुधार के लिए व्यवहार में लाया जा सकता है, राज्य आरईपी।

आई. एन. एस. पी. द्वारा ऑफ पुलिस वी. एम. मुरुगेसन

[हेमंत गुप्ता, जे।]

दोषी/अभियुक्त व्यक्ति का समाज में पुनर्वास और पुनः एकीकरण और जाँच की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं। द. समिति को आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था और राज्य को प्रत्येक जिले के लिए डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। समिति को इसकी जांच करनी थी और रिपोर्ट के साथ अलग से अंतिम आंकड़ा प्रस्तुत करना था। राज्य को समिति को अपनी बैठकें आयोजित करने और दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए कार्यालय कक्ष प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

2. इस तरह के निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत जमानत देने से संबंधित मामले में पारित किए गए। उच्च न्यायालय ने 18 फरवरी, 2019 को कुछ शर्तों के अधीन आरोपी को जमानत पर स्वीकार किया था, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों, दायर की गई अंतिम रिपोर्ट, किए गए मुकदमे और ऐसे मामलों के परिणाम के विवरण के लिए एक आदेश पारित किया। इन विवरणों को राज्य में पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली के संचालन के तरीके को प्रकाश में लाना था। में।

इस प्रकार जारी किए गए निर्देशों और प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसरण में, विवादित आदेश विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित किया गया था।

3. उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में दर्ज आपराधिक मामलों, दोषसिद्धि और दोषमुक्त किए जाने के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के बाद आगे बढ़ा।

राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली को कैसे काम करना चाहिए, इस पर एक शोध प्रबंध लिखना। यह देखा गया कि आपराधिक कानून का केंद्रीय उद्देश्य अपराधी में सुधार करना और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसका पुनर्वास करना है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 16. स्थिति इस राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली में पूरी तरह से सुधार की मांग करती है। ऐसा लगता है कि पुलिस इस दुष्ट चक्र में फंस गई है। यह गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि के खराब रिकॉर्ड को दर्शाता है। इसका पूर्ण इलाज खोजने के बजाय

ऐसा लगता है कि पुलिस बीमारी को ठीक किए बिना अस्थायी समाधान की तलाश कर रही है। जब तक हम इस बात पर सहमत नहीं होते कि कोई गंभीर समस्या है,

बदलाव/सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

17. " एक बार एक अपराधी हमेशा एक अपराधी "इस राज्य में प्रचलित वर्तमान प्रणाली का परिणाम है। हम बुनियादी बातों को भूल गए हैं।

आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य जो सुधार है,

दोषी का पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण। यदि किसी अभियुक्त को इस प्रणाली द्वारा चरम सीमा तक धकेल दिया जाता है जहां वह पाता है कि भले ही वह अपने जीवन में एक नया पन्ना बदलना चाहता है, यह प्रणाली उसे अनुमति नहीं देगी, बल्कि वह अपने भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर देगा और उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगा।

संक्षेप में, 'कोड' [2020] 2 एस. सी. आर.

एक कठोर अपराधी बनें। एक कल्याणकारी राज्य कभी नीचे नहीं गिर सकता। इस तरह के स्तर।

XX

XX

X

X

20. यह बिना कहे चला जाता है कि जाँच की गुणवत्ता काफी नीचे आते हैं और पुलिस द्वारा प्रदान किए गए डेटा को संदर्भित किया जाता है

ऊपर, यह स्पष्ट करता है। पुलिस द्वारा दिखाई गई सतर्कता

एफ. आई. आर. दर्ज करना और गिरफ्तारी करना, जाँच में नहीं देखा जाता है मामला, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना और मामले को उसके तार्किक अंत तक ले जाना।

डी. जी. पी. द्वारा हाल ही में 20 मार्च को जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी

पुलिस थानों में अब से विशेष जांच होगी

पंख। निर्देशों के अनुसार, जांच शाखा होगी

पंजीकृत सभी मामलों की जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार स्टेशन में, कानून और व्यवस्था शाखा द्वारा पहचाने गए मामलों सहित।

गिरफ्तारी को प्रभावित करना। अभियोजन पक्ष के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक गंभीर अपराधों में गवाह विभिन्न कारणों से शत्रुतापूर्ण हो जाता है

कारणों से। गवाह संरक्षण योजना, 2018, जो अब बन गई है

माननीय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए देश का कानून

महेंद्र चावला मामले में उच्चतम न्यायालय (2019 (1) एम. डब्ल्यू. एन.

साइबर अपराध भारी अनुपात और अपराधियों तक पहुँच गए हैं। इन अपराधों को करना स्पष्ट रूप से एक ऊपरी हाथ है क्योंकि

ये अपराधी बुद्धिमान बदमाश हैं और पुलिस अधिकारियों को इसकी आवश्यकता होती है। इन अपराधों से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण और संपर्क। एक पूर्ण

जाँच की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुधार की आवश्यकता है।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष मामला यह था कि क्या

ईडी जमानत पर स्वीकार किए जाने के हकदार हैं, जो कि प्रदत्त अधिकार क्षेत्र है

ई संहिता की धारा 439 के संदर्भ में न्यायालय। जमानत देने से पहले, उच्च न्यायालय को राज्य आर. ई. पी. का नोटिस जारी करने की बाध्यता का आदेश दिया जाता है।

आई. एन. एस. पी. द्वारा ऑफ पुलिस वी. एम. मुरुगेसन [हेमंत गुप्ता, जे.]

लोक अभियोजक को जमानत के लिए आवेदन यदि किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है जिसकी सुनवाई विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा की जा सकती है या जो, हालांकि इतना विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास की सजा के लिए है।

5. हम पाते हैं कि माननीय एकल पीठ ने गंभीर अपराध किया है

18 फरवरी, 2019 को अभियुक्त को जमानत देने के बाद फाइल को बनाए रखने में अवैधता। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया जब संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने के लिए एक आवेदन पर अंततः निर्णय लिया गया।

6. पंजाब राज्य में v. देविंदर पाल सिंह भुल्लर & Ors.2,

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक अपील का निर्णय लेने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामले से संबंधित अन्य मामलों में अपराधियों के संबंध में आदेश पारित करना जारी रखा। इस न्यायालय ने किसी मामले में अधिकार क्षेत्र के आह्वान की निंदा नहीं की

अपील से संबंधित और वह भी अंतिम आदेश पारित होने के बाद। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 86. ऊपर उल्लिखित कानून को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहाः

उक्त आवेदनों पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है और भले ही

वही निपटाई गई अपील में दायर किया गया था, अदालत कर सकती थी

पीठ के समक्ष उक्त आवेदन रखने का निर्देश दिया है

इसी तरह की याचिकाओं से निपटना।

XX

XX

XX

91. संबंधित पीठ के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है

धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत दायर आवेदनों पर विचार करें

निपटाई गई अपील में विविध आवेदन। कानून की मांग

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 की सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष वे आवेदन याचिकाएँ दायर करें या मामलों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें

उचित आदेश "।

7. देविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में इस अदालत ने एक मामला भेजा

सिमरिखिया बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। डॉली मुखर्जी और छवि मुखर्जी & Anr.[3] जिसमें अदालत ने कहा कि संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संहिता के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अंतर्निहित शक्तियाँ नहीं हो सकतीं

यह मानते हुए प्रयोग किया गया कि क़ानून एक निरंकुश और मनमाना प्रदान करता है

2 (2011) 14 एससीसी 770

3 (1990) 2 एस. सी. सी. 437 [2020] 2 एस. सी. आर.

अधिकारिता, और न ही उच्च न्यायालय अपनी सनक या सनक पर कार्य कर सकता है। संहिता उच्च न्यायालय को असीमित/निर्बाध अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है क्योंकि "न्याय के उद्देश्य" और "न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग" से कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। उच्च न्यायालय को न तो कोई आदेश दिया गया है और न ही उसके पास कोई अंतर्निहित शक्ति है, जो न्यायालय की राय में न्याय के हित में हो सकता है क्योंकि वैधानिक प्रावधान का उद्देश्य प्रक्रिया को पारित करना नहीं है।

निर्धारित किया गया। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हमेशा उचित निर्देश जारी कर सकता है।

एक व्यथित व्यक्ति के कहने पर भारत का संविधान, यदि न्यायालय आश्वस्त है कि जांच की शक्ति का प्रयोग एक जाँच अधिकारी दुर्भावनापूर्ण या मामले की जाँच बिल्कुल नहीं की जाती है, लेकिन ऐसे मामले में भी, उच्च न्यायालय पुलिस को यह निर्देश नहीं दे सकता है कि जाँच कैसे की जाए, लेकिन केवल संहिता में प्रदान की गई उचित प्रक्रिया के पालन के लिए जोर दे सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 51. धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्ति केवल तभी बचती है जब आपराधिक अदालत द्वारा एक आदेश पारित किया गया हो जिसे न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अलग रखा जाना आवश्यक है या जहां अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के संबंध में या जहां न्यायालय द्वारा सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है।

अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग यह मानते हुए नहीं किया जा सकता है कि क़ानून एक निरंकुश और मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, और न ही उच्च न्यायालय अपनी सनक या सनक पर कार्य कर सकता है। वैधानिक शक्ति होनी चाहिए

सावधानीपूर्वक और दुर्लभतम मामलों में कम प्रयोग किया जाता है। (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम राज्य

हरियाणा [(1977) 4 एससीसी 451: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 613: ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 2229] और स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. बनाम। सुजीत कुमार राणा [(2004) 4 एससीसी

129 : 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 984]।

52. धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता है यदि निवारण के लिए सी. आर. पी. सी. में कोई विशिष्ट प्रावधान है।

पीड़ित पक्ष की शिकायत या जहां वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो। इस तरह की शक्तियों का प्रयोग एक्सप्रेस के खिलाफ नहीं किया जा सकता है

कानून की बाधा और सी. आर. पी. सी. के किसी अन्य प्रावधान में संलग्न। ऐसी शक्तियों का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है और

न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। हालांकि, इस तरह के एटीई आरईपी।

आई. एन. एस. पी. द्वारा ऑफ पुलिस वी. एम. मुरुगेसन [हेमंत गुप्ता, जे.]

अभिव्यक्तियाँ उच्च न्यायालय को असीमित/निर्बाध अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं क्योंकि "न्याय के उद्देश्य" और "न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग" से प्रक्रियात्मक कानून सहित कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं

वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए पूर्व ऋण न्याय का प्रयोग किया गया क्योंकि न्यायालयों को उनके संविधान में निहित किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में ऐसी अंतर्निहित अधिकारिता प्रदान की गई है, या ऐसी शक्तियां जो न्याय के प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को पूर्ववत करने के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि कानूनी उक्ति में प्रदान किया गया है। ऐसा न करने से कोई लाभ नहीं होता। तथापि, उच्च न्यायालय को न तो कोई आदेश दिया गया है और न ही उसके पास कोई अंतर्निहित शक्ति है, जो न्यायालय की राय में न्याय के हित में हो सकता है क्योंकि वैधानिक प्रावधान का उद्देश्य निर्धारित प्रक्रिया को पारित करना नहीं है। (ललित मोहन का वीडियो

मंडल वी. बिनोयेंद्र नाथ चटर्जी [(1982) 3 एस. सी. सी. 219: 1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 697], रमेशचंद्र नंदलाल पारिख बनाम। गुजरात राज्य [(2006) 1 एससीसी 732: (2006) 1 एससीसी (सीआरआई)

481] , सीबीआई बनाम। रविशंकर श्रीवास्तव [(2006) 7 एस. सी. सी. 188: (2006) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 233], इंदर मोहन गोस्वामी बनाम। उत्तरांचल राज्य [(2007) 12 एस. सी. सी 1: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 259] और पंकज कुमार बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(2008) 16 एस. सी. सी 117: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 217]।

अधिकारी दुर्भावनापूर्ण या मामले की बिल्कुल भी जांच नहीं की जाती है। ऐसे मामले में भी, उच्च न्यायालय पुलिस को यह निर्देश नहीं दे सकता कि जांच कैसे की जाए, लेकिन केवल जांच के लिए जोर दे सकता है। सी. आर. पी. सी. में दी गई प्रक्रिया का पालन। ऐसे व्यथित व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक अन्य उपाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करना हो सकता है और संबंधित अदालत दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV में दिए गए प्रावधान के अनुसार आगे बढ़ेगी। (गंगाधर जनार्दन देखें।

म्हात्रे वी. महाराष्ट्र राज्य [(2004) 7 एससीसी 768: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 404] और डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम। केरल राज्य [(2008) 3 एससीसी 542: (2008) 2 एससीसी (सीआरआई) 9]।)

X

X

XX

64. एक अंतर्निहित शक्ति पेंडोरा के डिब्बे को खोलने के लिए एक सर्वव्यापी नहीं है, वह भी उन मुद्दों के लिए जो मुख्य संदर्भ के लिए विदेशी हैं। शक्ति का आह्वान एक ऐसे उद्देश्य के लिए होना चाहिए जो एक कार्यवाही से जुड़ा हो न कि एक पूरी तरह से नए मुद्दे को जन्म देने के लिए। एक शक्ति अपने स्वयं के अधिकार को अपनी रचना से परे नहीं कर सकती है।

ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति उपचारहीन है। इसके विपरीत,

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 97 सीआरपीसी अधिकार देता है मजिस्ट्रेट गलत तरीके से बंधक बनाए गए व्यक्ति की तलाशी का आदेश देते हैं। यह कुछ अलग है कि अधिकार का प्रयोग करने वाला एक ही न्यायालय, एक ही विषय-वस्तु के संबंध में, अपने रिट अधिकार क्षेत्र को भी लागू कर सकता है। फिर भी, अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान करने के लिए नहीं हैं

सार्वभौमिक उपचार। शक्ति का उपयोग अपने अस्तित्व को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए। अराजकता को कोई स्वीकार नहीं कर सकता

इसके लिए अंतर्निहित शक्ति कभी भी विधायिका की बुद्धिमत्ता नहीं थी। बेलगाम अंतर्निहित शक्ति प्रदान करना अपने आप में कठिन होगा।

विधायिका का अधिकार।

8. इस न्यायालय ने एक निर्णय में संगिताबेन शैलेशभाई न्ता बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। गुजरात राज्य एक प्रश्न की जाँच कर रहा था जहाँ एक अभियुक्त को जमानत देने के लिए एक अदालत ने अभियुक्त और उनके रिश्तेदारों को आदेश दिया था।

डर्गो वैज्ञानिक परीक्षण। झूठ डिटेक्टर, मस्तिष्क मानचित्रण और नार्को

यसिस। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा करने का न्यायालय का निर्देश न केवल आपराधिक कानून विवेक के पहले सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि सांविधिक आवश्यकताओं का भी उल्लंघन करता है। न्यायालय ने कहाः

" 7. पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए वर्तमान दृष्टिकोण पर ध्यान देना आश्चर्यजनक है।

जमानत आवेदन पर विचार करना। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उपर्युक्त परीक्षण केवल पहले के उल्लंघन में नहीं हैं।

आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के सिद्धांत लेकिन वैधानिक आवश्यकताओं का भी उल्लंघन करते हैं। जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 मार्गदर्शक सिद्धांत है।

आई. एन. एस. पी. द्वारा ऑफ पुलिस वी. एम. मुरुगेसन [हेमंत गुप्ता, जे.]

जिसमें न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ अपराध की गंभीरता, साक्ष्य के स्वरूप, पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में अभियुक्त की स्थिति और स्थिति, अभियुक्त के न्याय से भागने और अपराध को दोहराने की संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्याय के मार्ग में बाधा डालने की संभावना और ऐसे अन्य आधारों को ध्यान में रखता है। प्रत्येक आपराधिक मामला अपना विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्रस्तुत करता है, और इसलिए, किसी विशेष मामले के लिए विशिष्ट आधार हो सकते हैं

अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाना। हालांकि, अदालत को केवल इस बारे में राय देनी है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। अदालत को पुलिस द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच नहीं करनी चाहिए, या विशिष्ट आदेश नहीं देना चाहिए।

वर्तमान मामले में किए गए परीक्षण।

8. तत्काल मामले में, उपर्युक्त परीक्षणों का आदेश देकर और सावधानीपूर्वक विवरण के साथ उसी की रिपोर्ट में प्रवेश करके, उच्च न्यायालय ने जमानत मामले के निर्णय को वास्तव में एक लघु-परीक्षण में बदल दिया है। एक विचारण न्यायालय के कार्य की यह धारणा

उच्च न्यायालय द्वारा पदच्युत किया जाता है। "

9. भारतीय रिजर्व बैंक बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य निर्णय में। महाप्रबंधक, सहकारी बैंक जमा ए/सी एचआर। शा और ओआरएस। 5 , भारतीय रिजर्व बैंक ने संहिता की धारा 439 के तहत एक आवेदन पर पारित एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें एक तर्क दिया गया था कि गरीब जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। बैंक द्वारा प्राप्त किया गया। अदालत ने निर्देश जारी किए कि बैंक को उस राशि को वितरित करना शुरू कर देना चाहिए जो उनके द्वारा अब तक अभियुक्तों से बरामद की गई है। बैंक को गरीब जमाकर्ताओं को दिए गए धन का विवरण देने का निर्देश दिया गया था। अभियुक्त और साथ ही

जाँच अधिकारी और बैंक के प्रशासक को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। इस अदालत ने पाया कि इस तरह के निर्देश संहिता की धारा 439 के तहत आरोपी द्वारा दायर जमानत के लिए आवेदन के दायरे से बाहर हैं। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 6. हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के दूरगामी परिणाम एक तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक आरोपी द्वारा दायर जमानत के आवेदन के दायरे से बाहर हैं और उच्च न्यायालय, जितना किसी और को, मामले से संबंधित मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए।

5 (2010) 15 एससीसी 85 [2020] 2 एस. सी. आर.

उससे पहले। इस प्रकार उच्च न्यायालय आदेश पारित करने के लिए खुला नहीं था

जो पूरे देश में बैंकों के कामकाज को प्रभावित कर सकता है।

10. संतोष सिंह बनाम। सौदा करते समय भारत संघ & Anr.6

एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका जो थी

समाज में तेजी से घटते नैतिक मूल्यों से व्यथित

जीवन के हर पहलू में जहां पैसा कमाना एकमात्र साधन बन गया है

समाज के इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 18. जबकि प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है

मूल्य आधारित शिक्षा, यह किस रूप में होनी चाहिए और इसका तरीका क्या होना चाहिए

जिन मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए, उनके द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए

अदालत। अदालत में ऐसा करने के लिए विशेषज्ञता का अभाव है। द. याचिकाकर्ता को उस बारे में शिकायत है जिसे वह व्यापक बताती है

हमारे समाज में भौतिकवाद की संस्कृति। इस न्यायालय की अधिकारिता अनुच्छेद 32 के तहत सभी बीमारियों के लिए रामबाण नहीं है, बल्कि इसके लिए एक उपाय है।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इस तरह के कथित उपचार

शिकायतें जैसा कि याचिकाकर्ता की प्रमुख उपस्थिति के बारे में है

भौतिकवाद कहीं और होना चाहिए और यह उन लोगों के लिए है जिनके पास है निर्धारित करने और लागू करने की क्षमता और संवैधानिक कर्तव्य

ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए शैक्षिक नीतियाँ।

19. जनहित याचिकाकर्ताओं की ओर से एक प्रवृत्ति है

यह मान लेना कि हर अच्छी चीज जिसकी समाज को आकांक्षा करनी चाहिए

अदालत की साधनशीलता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

न्यायिक प्रक्रिया संवैधानिक या कानूनी समाधान प्रदान करती है।

उल्लंघन। जनहित याचिका सख्त छूट की अनुमति देती है

लोकस स्टैंडी के नियम। हालांकि, अदालत को अनिवार्य रूप से इसका पालन करना चाहिए

उन मापदंडों द्वारा जो न्यायपालिका के एक सूक्ष्म अभ्यास को नियंत्रित करते हैं

शक्ति। इसलिए, जहां मुद्दों को लाने का प्रयास किया जाता है

नीति की जिम्मेदारी राज्य की कार्यकारी शाखा को सौंपी जाती है। द. न्यायालय कानून के शासन के संरक्षण से संबंधित है।

XX

XX

X

X

23. अदालत के लिए यह मान लेना अवास्तविक है कि वह प्रदान कर सकती है

परेशान करने वाले मुद्दों का समाधान जिसमें दोनों के बीच संतुलन बनाना शामिल है

5) 8 एससीसी 253 स्टेट आरईपी।

आई. एन. एस. पी. द्वारा ऑफ पुलिस वी. एम. मुरुगेसन [हेमंत गुप्ता, जे.]

परस्पर विरोधी आयाम जो कानूनी स्तर से परे जाते हैं। न्यायालय संवैधानिकता और वैधता के मुद्दों से संबंधित हैं। यह समझना मुश्किल है कि कौन से समाधान विचारधारा, सामाजिक सिद्धांत, नीति-निर्माण और विकास के क्षेत्रों को पार कर सकते हैं।

इस न्यायालय द्वारा प्रयोग को विनियमित किया जा सकता है जैसे कि स्कूली शिक्षा में किसी विशेष विषय में शिक्षा की योजना को लागू करने के लिए एक आदेश जारी करना। क्या किसी विषय को पढ़ाया जाना चाहिए? क्या मूल्यों के एक समूह या पूछताछ और ज्ञान की एक पंक्ति को किसी शैक्षिक विषय में प्रवचन के एक अलग विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए? सिस्टम? क्या मौजूदा विषयों में मूल्यों के दिए गए समूह का क्षैतिज एकीकरण बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है? क्या पहले से ही अध्ययन के किसी अन्य विषय को लागू करना बिल्कुल वांछनीय है?

स्कूली पाठ्यक्रम पर बोझ?

24. ये परेशान करने वाले मुद्दे हैं जिनके लिए एक से अधिक समाधान उचित प्रतीत हो सकते हैं। ठीक यही कारण है कि इस तरह का संकल्प

मामला उन लोगों पर निर्भर होना चाहिए जिनके पास शिक्षा के मामलों को पढ़ाने और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है। समाज के हित में मानी जाने वाली हर भलाई को अदालत द्वारा अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। न ही न्यायिक प्रक्रिया प्रत्येक सामाजिक बीमारी का जवाब है जिसे एक जनहित याचिकाकर्ता समझता है। वर्तमान जैसा मामला जिसका समाधान कानूनी या संवैधानिक ढांचे में नहीं है, न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों के संदर्भ में निपटाए जाने में असमर्थ है।

11. हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य से डेटा एकत्र किया है और जमानत आवेदन के निर्णय के बाद इसे आदेश का हिस्सा बना दिया है जैसे कि न्यायालय के पास राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आड़ में कोई भी आदेश पारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र था। संहिता की धारा 439 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत देने या न देने तक सीमित है। भले ही माननीय न्यायाधीश का उद्देश्य प्रशंसनीय था, लेकिन प्रयोग की गई अधिकारिता स्पष्ट रूप से गलत थी। माननीय न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रयास को एक उपयुक्त मंच पर प्रस्तुत करना शैक्षणिक रूप से उचित हो सकता है लेकिन ऐसे निर्देश जारी नहीं किए जा सके।

न्यायालय के कार्यालय के रंग के तहत।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि 24 अप्रैल, 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया गया है। नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी